[2019] 15 एस. सी. आर. 443

ए.

हरि निवास गुप्ता

बनाम

बिहार और अन्य राज्य (2017 की सिविल अपील संख्या 3105) 08 नवंबर, 2019

बी.

[इंदु मल्होत्रा और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-Art.311 (2) के दूसरे परंतुक का खंड (बी)-स्थानीय दैनिक में प्रकाशित समाचार कि नेपाल पुलिस ने बिहार राज्य से संबंधित तीन न्यायिक अधिकारियों-अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कथित रूप से नेपाल के बिराटनगर में एक अतिथि गृह में तीन नेपाली महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया जा रहा है-उनकी बर्खास्तगी के लिए पूर्ण न्यायालय का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें Art.311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) को लागू करके अनुशासनात्मक कार्यवाही का निपटारा किया गया-जबकि जांच के लिए कारण दर्ज करने में विफलता के लिए बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करते हुए, खंड पीठ ने उच्च न्यायालय को उपरोक्त परंतुक के तहत कारण दर्ज करने की आवश्यकता के साथ एक उचित चरण में शक्ति का आह्वान करने की स्वतंत्रता दी-कारण दर्ज करने के लिए चुनौती - Art.311 संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी से संबंधित है-तुलसीराम पटेल और जसवंत सिंह मामले में दूसरे परंतुक के खंड (बी) परंतुक में कानून Art.311 (2) में आदेश दिया गया है कि बर्खास्तगी के आदेश से पहले जांच को समाप्त करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए-डिवीजन बेंच द्वारा 'उचित स्तर पर' अभिव्यक्ति नियमित विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश नहीं है और न ही यह Art.311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) का सहारा लेने पर प्रतिबंध लगाती है-कानून के अनुसार डिवीजन बेंच उच्च न्यायालय को नए दिमाग से अपीलार्थियों करने से नहीं रोकती है।14, 20 – सेवा कानून। भारत का संविधान-कला।233-236; Art.311 (2) के दूसरे परंतुक का खंड (बी)-में उच्च न्यायालय का 'नियंत्रण'

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

443 ए.

444 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित मामले-पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव द्वारा अपीलार्थियों-न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करना, दूसरे परंतुक के खंड (बी) को लागू करके अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करना-नृपेंद्र नाथ बागची पर भरोसा करने वाली अपीलार्थियों की याचिका कि यह शक्ति केवल राज्यपाल के पास निहित है-आयोजित की गईःउक्त विवाद नृपेंद्र नाथ बागची में अनुपात को गलत तरीके से पढ़ता है, जो इसके विपरीत है-निर्णय में टिप्पणियों में यह नहीं कहा गया है कि राज्यपाल, न कि उच्च न्यायालय, अधिकार क्षेत्र में निहित है और यह तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है कि क्या जांच को दूसरे परंतुक के खंड (बी) परंतुक में संतुष्टि दर्ज करने पर समाप्त किया जाना चाहिए Art.311 (2)-यह Art.235 को संदर्भित करता है और कहता है कि नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास निहित है, हालांकि नियुक्ति, बर्खास्तगी या हटाने का आदेश पारित किया जाता है और राज्यपाल के नाम पर बनाया जाता है जो औपचारिक आदेश पारित करता है चाहे वह नियुक्ति, बर्खास्तगी या हटाने का मामला हो।

बी.

सी.

डी.

सेवा कानून-न्यायिक सेवा-अपीलार्थियों-न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए पूर्ण न्यायालय का प्रस्ताव पारित किया गया-आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया।12.02.14, दूसरे परंतुक के खंड (ख) को Art.311 (2) पर लागू करके अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करना-एक अधिकारी ने बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली थी, जबकि अन्य दो अधिकारी वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे-यह तर्क कि Art.311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के तहत बर्खास्तगी का परंतुक सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को जब्त और अस्वीकार किया जा सकता है-आयोजितःपूर्ण न्यायालय ने दूसरे परंतुक Art.311 (2) के खंड (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विभागीय जांच करने वाले अपीलार्थियों को फिर से खारिज करने की सिफारिश की है।13.08.2015 – हालाँकि, मामला राज्य सरकार के पास लंबित है-स्थगन आदेश dated.11.09 को देखते हुए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।2015 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित-एक चुनौती प्रत्याशित रूप से नहीं दी जा सकती-यह चुनौती भी रिट याचिकाओं का विषय नहीं थी और यह कार्रवाई का एक पूरी तरह से नया कारण होगा-इस प्रकार, अपीलार्थियोंओं ने आदेश को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है यदि, और

जब भी पारित किया जाता है-उत्तरदाताओं के लिए इस विवाद की जांच करने के लिए खुला है-स्थगन आदेश खाली-भारत का संविधान-Art.311 (2)।

ई.

एफ.

जी.

एच.

445

हरि निवास गुप्ता बनाम बिहार राज्य और एक अन्य ए

ए.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**बी**)** को बर्खास्तगी**,** हटाने या संतोष पर रैंक में कमी की सजा देने के लिए लागू किया जा सकता है**,** जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए**,** कि सजा देने से पहले जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।निर्णय के निर्देश और टिप्पणियां उच्च न्यायालय को एक नया और अपरंपरागत अधिकार या शक्ति प्रदान नहीं करती हैं**,** बल्कि यह स्पष्ट करती हैं कि वर्तमान मामले में बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने का एक स्पष्ट और स्पष्ट परिणाम क्या है।निर्देश के लिए उच्च न्यायालय को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में उच्च न्यायालय जिस कार्रवाई का पालन करना चाहता है**,** उस पर कोई बाधा नहीं डाली।इसलिए**,** यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय एक विशिष्ट निर्देश के बजाय प्रचुर सावधानी के कारण**,** यदि वह इसे उचित और उचित समझता है**,** तो कारण दर्ज करने और परंतुक प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक उचित स्तर पर संविधान के अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**बी**)** के तहत शक्ति का उपयोग करने का हकदार था।**[**पैरा **8,10] [453-**ए**-**बी**; 454-**सी**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1991) 1** एससीसी

362 :[1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. 354; भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (1985) 3 एस. सी. सी. 398:[1985] 2 पूरक।एस. सी. आर. 131-पर निर्भर।

ई.

1.2 विभागीय जांच के लिए कारणों को दर्ज करने में विफलता के लिए अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**बी**)** के तहत **12** फरवरी**, 2014** के पहले के परंतुक को निरस्त करने और रद्द करने से पहले के परंतुक को रद्द कर दिया जाता है**,** जो अस्तित्व में नहीं रहता है और मिटा दिया जाता है**,** लेकिन आरोपों के गुण**-**दोष पर निर्णय नहीं देता है ताकि न्यायिक रोक को आकर्षित किया जा सके।आरोपों की गंभीरता और रिट याचिका को परंतुक देने के कारण को ध्यान में रखते हुए**,** खंड पीठ ने उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचार करने से नहीं रोका और यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**बी**)** को लागू करने और कानून के अनुसार उचित ठहराया।डिवीजन बेंच द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति 'उचित स्तर पर' नियमित विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश नहीं है और न ही यह कानून के अनुसार संविधान के अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**बी**)** का सहारा लेने से रोकती है।अधिकारियों ने

एफ.

जी.

एच.

अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**बी**)** के तहत विभागीय जांच को समाप्त करने की शक्ति का उपयोग करने के लिए इस निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए कि ऐसी जांच नहीं की जा सकती है और इसके लिए विशिष्ट कारण दर्ज करने चाहिए।इस मामले में**,** खंड पीठ ने प्रतिवादी**-**उच्च न्यायालय की इस दलील को अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में दर्ज किया था कि प्रत्यक्ष साक्ष्य और सामग्री को आत्मसात करना**,** एकत्र करना और प्रस्तुत करना असंभव होगा क्योंकि कार्य और कुकर्म दूसरे देश में थे।डिवीजन बेंच ने पाया कि जांच के लिए कारण दर्ज नहीं किए गए थे**,** न तो उच्च न्यायालय के इस तर्क को स्वीकार किया और न ही खारिज किया।किसी अनुच्छेद के एक या अधिक वाक्यों को अलग**-**अलग पढ़कर खंड पीठ के निर्णय की व्याख्या करना उचित और सही नहीं होगा।अनुपात और निष्कर्ष को समझने के लिए पूरे निर्णय को पढ़ना होगा और टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे किए गए हैं।**[**पारस **11,15] [454-**ई**-**जी**; 458-**बी**-**डी**]**

बी.

सी.

रीना रानी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य **(2012) 10** एस**.** सी**.** सी**. 215;** रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

डी.

(2014) 13 एससीसी **244:[2014] 7** एस**.** सी**.** आर**. 544-**पर निर्भर।

मोहिंदर सिंह गिल और एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य (1978) 1 एससीसी

405 :[1978] 2 एस. सी. आर. 272; पूर्वी तट रेलवे और

ई.

एक अन्य बनाम महादेव अप्पा राव और अन्य **(2010)**

एससीसी 678:[2010] 7 एससीआर 908; मुख्य सुरक्षा अधिकारी

और अन्य बनाम सिंगासन रबी दास (1991) 1 एस. सी. सी. 729; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम दीनबंधु बेहता और अन्य (1997) 10 एस. सी. सी. 383; सुदेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2005) 11 एस. सी. सी. 525; तारसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2006) 13 एस. सी. सी.

एफ.

581 – संदर्भित किया गया।

2. विवाद नृपेंद्र नाथ बागची में अनुपात को गलत तरीके से पढ़ता है**,** जो इसके विपरीत है।उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के प्रयोग के भीतर अभिव्यक्ति/शब्द**,** उच्च न्यायालय पूछताछ कर सकता है**,** बर्खास्तगी या हटाने के अलावा अन्य दंड लगा सकता है**,** सेवा की शर्तों के अधीन**,** अपील के अधिकार के लिए यदि सेवा की शर्तों द्वारा प्रदान किया जाता है**,** और अनुच्छेद **311** के खंड **(2)** द्वारा आवश्यक कारण दिखाने का अवसर देने के लिए जब तक कि ए

जी.

एच.

447

हरि निवास गुप्ता बनाम बिहार राज्य और एक अन्य ए

उस खंड के परंतुक **(**ख**)** और **(**ग**)** के तहत कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा ऐसा अवसर दिया जाता है "उच्च न्यायालय को यह तय करने के अधिकार से वंचित करना नहीं है कि अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**ख**)** को लागू करने की शर्तें संतुष्ट हैं या नहीं**,** लेकिन यह स्वीकार करता है कि अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**ख**) [**खंड **(**ग**)]** परंतुक में बर्खास्तगी**,** हटाने या रैंक में कमी या जांच करने के लिए राज्यपाल के आदेश की आवश्यकता होगी।टिप्पणियों में यह नहीं कहा गया है कि राज्यपाल**,** न कि उच्च न्यायालय**,** अधिकार क्षेत्र में निहित है और यह तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है कि क्या संविधान के

अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**बी**)** परंतुक में संतुष्टि दर्ज करने पर जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।निर्णय संविधान के अनुच्छेद **235** को संदर्भित करता है और कहता है कि नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास निहित है**,** हालांकि नियुक्ति**,** बर्खास्तगी या हटाने का आदेश पारित किया जाता है और राज्यपाल के नाम पर किया जाता है जो औपचारिक आदेश पारित करता है चाहे वह नियुक्ति**,** बर्खास्तगी या हटाने का मामला हो।**[**पारस **17,18] [458-**जी**-**एच**; 461-**बी**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची आकाशवाणी

1966 एससी **447:[1966]** एस**.** सी**.** आर**. 771-**अनुसरण किया गया।

3. सुनवाई के दौरान**,** यह बताया गया कि पूर्ण न्यायालय ने बाद में संविधान के अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**बी**)** के तहत शक्ति के प्रयोग में विभागीय जांच करने वाले न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी।हालाँकि**,** मामला राज्य सरकार के पास लंबित है और इस न्यायालय द्वारा **11** सितंबर **2015** को पारित स्थगन आदेश को देखते हुए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।यह बताया गया कि अन्य दो अधिकारी भी वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे।इसलिए**,** अधिक से अधिक पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को जब्त और अस्वीकार किया जा सकता है**,** लेकिन अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(**बी**)** के तहत शक्तियों का आह्वान करके सेवा से बर्खास्तगी का परंतुक अपीलार्थियों**-**न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है।अपीलार्थियों**-**न्यायिक अधिकारियों के वकील ने इस तर्क पर जोर नहीं दिया क्योंकि मामला अभी भी राज्य के अधिकारियों के समक्ष लंबित है और अंतिम आदेश पारित किया जाना बाकी है।एक चुनौती प्रत्याशा में नहीं की जा सकती है।इसके अलावा**,** यह चुनौती उन रिट याचिकाओं का विषय भी नहीं थी जिसमें विवादित आदेश था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

पारित किया गया और कार्रवाई का एक पूरी तरह से नया कारण होगा।अपीलार्थियों**-**न्यायिक अधिकारियों के वकीलों ने आदेश को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है**,** यदि और जब भी इसे पारित किया जाता है।उक्त विवाद के गुण**-**दोष पर ध्यान नहीं दिया गया है और इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया गया है।यह उत्तरदाताओं**,** यानी बिहार राज्य और उच्च न्यायालय के लिए इस तर्क की जांच करने के लिए समान रूप से खुला है।स्थगन आदेश को खाली कर दिया गया है**,** हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादियों को**,** खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय के संदर्भ में**,** कानून के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तीनों न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण**-**दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है।**[**पारस **19-20] [463-B-G]**

बी.

सी.

अजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य **(2011) 11** एससीसी

458 :[2011] 3 एससीआर **830-**पर निर्भर।संदर्भित निर्णय

[1990] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 354** पैरा **8 [1985] 2** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 131** पैरा **8 [1978] 2** एस**.** सी**.** आर**. 272** पर निर्भर था।

डी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2010] 7 एससीआर **908**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

(1991) 1 एस**.** सी**.** सी**. 729**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

ई.

(1997) 10 एस**.** सी**.** सी**. 383**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

(2005) 11 एस**.** सी**.** सी**. 525**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

(2006) 13 एस**.** सी**.** सी**. 581**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

(2012) 10 एससीसी **215**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13**

एफ.

[2014] 7 एससीआर **544**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13**

[1966] एससीआर **771**

पीछा किया।

पैरा **16**

[2011] 3 एससीआर **830**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **18**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2017 की सिविल अपील सं. 3105।

जी.

2014 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 8636 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.05.2015 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2017 की सिविल अपील संख्या 3106-3107।

एच.

449

हरि निवास गुप्ता बनाम बिहार राज्य और एक अन्य ए

ए.

एस. आर. सिंह, निदाश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्तागण , सुश्री सुनीता पंडित, शिवम शर्मा, कृष्ण कुमार यादव, अंकुर यादव, सुश्री जपनीत कौर, सुश्री आशा गोपालन नायर, रवि प्रकाश, आदित्य दीवान, चंद्र प्रकाश, सुश्री सरोज बाला, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

प्रवीण एच. पारेख, वरिष्ठ अधिवक्ता, देवाशीष भारुका, रवि भारुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, सुश्री तान्या चौधरी, सुश्री प्रत्युषा प्रियदर्शिनी, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना**,** जे।

1. यह सामान्य निर्णय तीन न्यायिक अधिकारियों, हरि निवास गुप्ता, कोमल राम और जितेंद्र नाथ सिंह, जो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्तीपुर के रूप में काम कर रहे थे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरारिया और तदर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, अरारिया द्वारा की गई उपरोक्त कैप्टिन अपीलों का निपटारा करेगा।2. 29 जनवरी 2013 को एक स्थानीय दैनिक (उदघोष) में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि 26 जनवरी 2013 को नेपाल पुलिस ने बिहार राज्य के तीन न्यायिक अधिकारियों को गिरफ्तार किया था क्योंकि वे नेपाल के बिराटनगर में एक अतिथि गृह में तीन नेपाली महिलाओं के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे।इसके बाद न्यायिक अधिकारियों को नेपाल के जिला पुलिस थाने में लाया गया, लेकिन विभिन्न हलकों के दबाव के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया।घटना के बारे में पता चलने पर, पटना में उच्च न्यायालय (संक्षेप में 'उच्च न्यायालय') ने 18 फरवरी 2013 को जिला और सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया को इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा था। जिला और सत्र न्यायाधीश ने 24 फरवरी 2013 की रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया था कि जांच के दौरान तीन न्यायिक अधिकारियों ने नेपाल के लिए भारत छोड़ने से इनकार किया था। कोमल राम ने दावा किया था कि वह पूर्णिया में था और स्थानांतरण पर अपना आवास खाली करने की प्रक्रिया में था।रिपोर्ट में उसी दैनिक द्वारा 22 फरवरी 2013 को प्रकाशित एक अन्य समाचार का संदर्भ दिया गया था, जिसमें गलत रिपोर्टिंग पर खेद व्यक्त किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक, अरारिया ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ पक्षपात किया था।रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उच्च न्यायालय ने सूचना, विवरण और रिकॉर्ड एकत्र करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था।20 जून 2013

को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उप सचिव ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि न्यायिक अधिकारियों के मोबाइल फोन एक साथ थे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

26 और 27 जनवरी 2013 को लंबे समय तक फोन बंद रहे और जब उस अवधि के दौरान फोन सक्रिय थे, तो वे फोर्ब्सगंज शहर में टावर की सीमा के भीतर थे, जिससे संकेत मिलता है कि न्यायिक अधिकारी नेपाल के निकट थे, न कि उनकी पोस्टिंग के स्थान पर।26 से 27 जनवरी 2013 के बीच पूर्णिया के एक होटल में रहने के अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोमल राम द्वारा प्रस्तुत और भरोसा किया गया होटल बिल को बिल पर लिखावट और कोमल राम के हस्ताक्षर के आधार पर मनगढ़ंत माना गया था।इसके अलावा, होटल उस मानक का नहीं था जहां कोमल राम के रैंक का न्यायिक अधिकारी रहता।

बी.

3. उच्च न्यायालय की स्थायी समिति ने 5 फरवरी, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प लिया था कि न्यायिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाना चाहिए और यह भी कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बिना जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, जिसे बिहार सरकार के कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 के नियम 14 और 20 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।10 फरवरी, 2014 को आयोजित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूर्ण न्यायालय में, स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और बिहार राज्य सरकार में न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक सेवा से बर्खास्त करने के लिए पूर्ण न्यायालय का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) को लागू करके अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।पूर्ण न्यायालय की सिफारिश को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया और बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा 12

फरवरी 2014 को जारी किए गए सामान्य आदेश के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

4. न्यायिक अधिकारियों ने बर्खास्तगी के आदेश को अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी थी, जिन्हें उच्च न्यायालय की खंड पीठ (संक्षेप में 'खंड पीठ') ने 19 मई 2015 के फैसले के माध्यम से मुख्य रूप से इस आधार पर परंतुक दी थी कि पूर्ण न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश करते समय अनुशासनात्मक जांच को समाप्त करने के कारणों को दर्ज नहीं करके संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) का उल्लंघन किया था।उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने जिस नोट पर भरोसा किया कि वह कथित रूप से जांच करने के कारणों को दर्ज करता है, यह देखा गया कि इसमें कोई तारीख या हस्ताक्षर नहीं थे और इसमें प्रामाणिकता का अभाव था।इस प्रकार, उच्च न्यायालय यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर रखने में सक्षम नहीं था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए कोई कारण दर्ज किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

451

हरि निवास गुप्ता बनाम बिहार राज्य और अन्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

ए.

5. न्यायिक अधिकारियों के मामले में 12 फरवरी 2014 के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए, डिवीजन बेंच ने उच्च न्यायालय को निम्नलिखित स्वतंत्रता और विवेकाधिकार दिया थाः

“तदनुसार, रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है, और 12.02.2014 दिनांकित सामान्य आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के उपखंड (बी) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखता है, तो वह उचित स्तर पर कारण दर्ज करने और परंतुक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

बी.

यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि दो (एस. आई. सी.-एक) अधिकारियों ने रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है।हम निर्देश देते हैं कि इन रिट याचिकाओं में निर्णय के परिणामस्वरूप, याची , जो पहले से ही सेवा में है, को निलंबन के तहत माना जाएगा, और अन्य दो को विभागीय कार्यवाही जारी रखने के सीमित उद्देश्य के लिए सेवा में बने रहने के लिए माना जाएगा।उच्च न्यायालय आज से दो महीने की अवधि के भीतर इस संबंध में निर्णय लेगा।यदि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे, जैसे कि कार्यवाही को पूरी तरह से अपास्त करना दिया गया है।यदि, दूसरी ओर, कार्यवाही शुरू की जाती है, तो याचिकाकर्ताओं को उसके परिणाम का इंतजार करना होगा।जबकि जो सेवा में है उसे निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, अन्य दो को तुरंत 25 प्रतिशत की सीमा तक अस्थायी पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

सी.

डी.

ई.

मध्यस्थ आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

एफ.

6. न्यायिक अधिकारियों ने इस पूर्व-उद्धृत भाग और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत उचित स्तर पर शक्ति का उपयोग करने के लिए उच्च न्यायालय को दी गई स्वतंत्रता को चुनौती दी है, जिसमें कारणों को दर्ज करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है, इस आधार पर कि दी गई स्वतंत्रता उच्च न्यायालय को 12 फरवरी 2014 के बर्खास्तगी के पूर्व आदेश के बाद कारणों को दर्ज करने की परंतुक देती है, जो कानून और संविधान के विपरीत है।7. उत्तरदाताओं, अर्थात बिहार राज्य और उच्च न्यायालय ने किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी है और निर्णय को स्वीकार कर लिया है।

जी.

एच.

8. संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) में कहा गया हैः

311. संघ या किसी राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों को बर्खास्त करना**,** हटाना या उनके पद में कमी करना।**— (1)** नहीं।

व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के तहत सिविल पद रखता है, उसे उस अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटा दिया जाएगा जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था।

बी.

(2) उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त या पद से हटाया या पद से हटाया नहीं जाएगा, सिवाय उस जांच के जिसमें उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

सी.

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच के बाद उस पर ऐसा कोई जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है, वहां ऐसा जुर्माना ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर लगाया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगाः

डी.

बशर्ते कि यह खंड लागू नहीं होगा-(ए) जहां किसी व्यक्ति को उस आचरण के आधार पर बर्खास्त या हटा दिया जाता है या पद से कम कर दिया जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; या

ई.

(ख) जहां किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या पद से हटाने या उसे पद से हटाने के लिए सशक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने के लिए, ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है; या (ग) जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल, यथास्थिति, संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।"

एफ.

खंड (1) में कहा गया है कि संघ या राज्यों के तहत सिविल सेवाओं या पदों में कार्यरत व्यक्तियों या अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को उस अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त, हटाया या पद से कम नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था।खंड (2) में प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को उस जांच के बाद ही बर्खास्त या हटाया या पद से हटाया जा सकता है जिसमें उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।दूसरे परंतुक में अपवाद शामिल हैं जब खंड (2) के तहत जांच करने की आवश्यकता हो सकती है।

जी.

एच.

453

हरि निवास गुप्ता बनाम बिहार राज्य और अन्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

त्याग दिया जाए।अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) को बर्खास्तगी, हटाने या संतोष पर रैंक में कमी की सजा देने के लिए लागू किया जा सकता है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, कि लागू करने से पहले जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।

सजा।इस न्यायालय ने जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1 में भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल, 2 में एक पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए

बी.

सकारात्मक रूप से अभिपरंतुक किया गया कि अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत आदेश पारित करते समय कारणों को दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का दायित्व अनिवार्य है, और यह अन्य बातों के साथ-साथ देखा गयाः

“5. ...प्रतिवादियों पर यह दायित्व था कि वे न्यायालय को विवादित आदेश के पारित होने की तारीख पर विवादित आदेश में प्रत्यर्थी 3 द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि के समर्थन में मौजूद सामग्री का खुलासा करें।अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक का खंड (बी) केवल तभी लागू किया जा सकता है जब प्राधिकरण को उसके सामने रखी गई सामग्री से संतुष्ट किया जाता है कि विभागीय जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।तुलसीराम मामले के पृष्ठ 270 पर निम्नलिखित अवलोकन से यह स्पष्ट हैः(एस. सी. सी. पी. 504, पैरा 130)

सी.

डी.

“एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अनुशासनात्मक जांच को हल्के में या मनमाने ढंग से या गलत उद्देश्यों से या केवल जांच से बचने के लिए या क्योंकि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभाग का मामला कमजोर है और इसे विफल होना चाहिए।”

ई.

9. वर्तमान मामले में, खंड पीठ ने विवादित फैसले के माध्यम से एक तथ्य के रूप में पाया है कि उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करने के अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले जांच करने के लिए लिखित रूप में संतुष्टि दर्ज करने में विफल रहा था।इस कारण से, अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा पारित 12

फरवरी 2014 के बर्खास्तगी के परंतुक अपास्त करना कर दिया गया था।नतीजतन, न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बहाल किया जाना था।डिवीजन बेंच द्वारा अंतिम निर्देशों के उद्धृत भाग में यही देखा गया है, जो इस तथ्य को संदर्भित करता है कि "दो" (एस. आई. सी.-एक) न्यायिक अधिकारियों ने रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी और इसलिए, उन्हें सीमित उद्देश्य के लिए सेवा में बने रहना माना जाएगा।

एफ.

जी.

1 (1991) 1 एससीसी 362 2 (1985) 3 एससीसी 398

एच.

अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को जारी रखने में सक्षम बनाना।अन्य अधिकारी (ओं) को निलंबित माना जाएगा।उच्च न्यायालय को दो महीने के भीतर निर्णय लेने की आवश्यकता थी और यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और न्यायिक अधिकारी सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे जैसे कि कार्यवाही को पूरी तरह से अपास्त करना दिया गया था। यह निर्देश दिया गया कि जो न्यायिक अधिकारी सेवा में बने रहेंगे, उन्हें निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और सेवानिवृत्त लोगों को तुरंत 25 प्रतिशत की सीमा तक अस्थायी पेंशन दी जाएगी।

बी.

10. ऊपर उद्धृत निर्णय के निर्देश और टिप्पणियां उच्च न्यायालय को एक नया और अपरंपरागत अधिकार या शक्ति प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि यह स्पष्ट करती हैं कि वर्तमान मामले में बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने का एक स्पष्ट और स्पष्ट परिणाम क्या है।निर्देश के लिए उच्च न्यायालय को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में उच्च न्यायालय जिस कार्रवाई का पालन करना चाहता है, उस पर कोई बाधा नहीं डाली।इसलिए, यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय एक विशिष्ट निर्देश के बजाय प्रचुर सावधानी के कारण, यदि वह इसे उचित और उचित समझता है, तो कारण दर्ज करने और परंतुक प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक उचित स्तर पर संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत शक्ति का उपयोग करने का हकदार था।

सी.

डी.

11. विभागीय जांच के लिए कारणों को दर्ज करने में विफलता के लिए अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत 12 फरवरी, 2014 के पहले के परंतुक को निरस्त करना और रद्द करना, पहले के परंतुक को रद्द कर देता है, जो अस्तित्व में नहीं रहता है और मिटा दिया जाता है, लेकिन आरोपों के गुण-दोष पर निर्णय नहीं देता है ताकि न्यायिक रोक को आकर्षित किया जा सके।आरोपों की गंभीरता और रिट याचिका को परंतुक देने के कारण को ध्यान में रखते हुए, खंड पीठ ने उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचार करने से नहीं रोका और यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) को लागू करने और कानून के अनुसार उचित ठहराया।डिवीजन बेंच द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति 'उचित स्तर पर' नियमित विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश नहीं है और न ही यह कानून के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) का सहारा लेने से रोकती है।हम डिवीजन बेंच द्वारा उच्च न्यायालय पर लगाए गए ऐसे बंधनों और प्रतिबंधों को नहीं देखते हैं।

ई.

एफ.

जी.

12. न्यायिक अधिकारियों ने मोहिंदर सिंह गिल का हवाला दिया था।

और एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त**,** नई दिल्ली और ए

एच.

455

हरि निवास गुप्ता बनाम बिहार राज्य और अन्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

अन्य 3 और पूर्वी तट रेलवे और एक अन्य बनाम महादेव अप्पा राव

और अन्य 4 यह दावा करने के लिए कि इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि परंतुक का समर्थन करने के लिए अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत कारणों को बाद में दर्ज किया जा सकता है।प्रस्तुतिकरण अपीलार्थियों के मामले को समर्थन नहीं देता है क्योंकि इन निर्णयों में इस न्यायालय ने यह देखते हुए जांच को समाप्त करने के लिए कारण प्रदान करने वाले हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि ये बर्खास्तगी आदेश के बाद थे।कारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए थे, और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत शक्ति के प्रयोग के समय दर्ज नहीं किए गए थे।तुलसीराम पटेल (ऊपर) और जसवंत सिंह (ऊपर) के आदेश के अनुसार, अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) परंतुक में कानून यह आदेश देता है कि बर्खास्तगी के आदेश से पहले जांच के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

13. इसी तरह मुख्य सुरक्षा अधिकारी और अन्य बनाम सिंगासन रबी दास, 5 उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम दीनबंधु बेहता और अन्य, 6 सुदेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 7 तारसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 8 रीना रानी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 9 और रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य

डी.

हरियाणा और अन्य, 10 न्यायिक अधिकारियों द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे।इन निर्णयों में, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत परंतुक ों को विभागीय जांच के लिए दर्ज किए गए कारणों के अभाव में निरस्त कर दिया गया था।रद्द किए जाने के बावजूद, इस न्यायालय ने कई मामलों में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की अनुमति दी थी।उदाहरण के लिए, रीना रानी (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया था,

ई.

एफ.

“12. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है।विवादित निर्णय के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को भी अपास्त करना दिया जाता है और अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को इस निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है कि उसे सेवा में बहाल विद्वान जाएगा और सभी अधिकार दिए जाएंगे।

3 (1978) 1 एससीसी 405 4 (2010) 7 एससीसी 678 5 (1991) 1 एससीसी 729 6 (1997) 10 एससीसी 383 7 (2005) 11 एससीसी 525 8 (2006) 13 एससीसी 581 9 (2012) 10 एससीसी 215 10 (2014) 13 एससीसी 244

जी.

एच.

परिणामी लाभ।हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा।साथ ही, हम यह अवलोकन

करना आवश्यक समझते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता को अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए एक जनादेश के रूप में नहीं माना जाएगा और सक्षम प्राधिकारी पूरे रिकॉर्ड पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के बाद उचित निर्णय लेगा।"

बी.

इसी तरह, रिसाल सिंह (ऊपर) में, यह निम्नानुसार देखा गया था:"10. नतीजतन, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर देते हैं।अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा में माना जाएगा।चूंकि वह इस बीच सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, इसलिए वह सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।बकाया राशि की गणना की जाएगी और इसलिए तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलार्थी को भुगतान किया जाएगा।कहने की आवश्यकता नहीं है, यदि कानून में सलाह दी जाती है, तो प्रतिवादी किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से वंचित नहीं हैं।चूँकि आई. एस. न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए न्यायालय में बिताई गई अवधि को नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा। हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ हमारी टिप्पणियों को अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारियों के लिए एक जनादेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।हम यह जोड़ना जारी रख सकते हैं कि राज्य सरकार खुद को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में संचालित करेगी और उससे अपेक्षित वस्तुनिष्ठता के साथ कार्य करेगी।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

सी.

डी.

ई.

14. न्यायिक अधिकारियों द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क तीसरे मुद्दे या निम्नलिखित प्रभाव के बिंदु (सी) पर विचार करते समय डिवीजन बेंच के पहले के अवलोकन के संदर्भ में है:

एफ.

"तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक जांच की और कुछ सामग्रियों को अपने कब्जे में लिया; चाहे वह कागजी कतरनों के रूप में हो, जिला न्यायाधीश, पूर्णिया की रिपोर्ट हो या गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र हो।जब उच्च न्यायालय के लिए इस तरह की जांच करना संभव होता, तो आरोप तय करना और फिर विभागीय जांच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना भी उतना ही संभव होता।यह केवल तब होता है जब विभागीय जांच का संचालन एक कठिन कार्य साबित हो रहा था, या तो शुरुआत में या आधे रास्ते में, कि एक निर्णय ए

जी.

एच.

विशिष्ट कारणों को दर्ज करके जांच को समाप्त करने के लिए लिया जा सकता था।माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय

तारसेम सिंह (ऊपर) और तुलसी राम पटेल (ऊपर) थ्रो में

इस पर प्रकाश डालें।उसमें निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित कार्यवाही में पेटेंट का उल्लंघन हुआ है।इसलिए, हम इस बिंदु को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में भी रखते हैं।" विद्वान अधिवक्ता, भाग का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि खंड पीठ ने माना है कि विभागीय जांच संभव थी और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता था।

बी.

15. हमारी राय में टिप्पणियों को गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है क्योंकि पूर्व-उद्धृत भाग कानूनी स्थिति को संदर्भित करता है कि आम तौर पर विभागीय जांच की जानी चाहिए।यह उस परिदृश्य को भी संदर्भित करता है जहां एक विभागीय जांच आयोजित नहीं की जा सकती है, यानी "जब विभागीय जांच का संचालन एक कठिन कार्य साबित हो रहा था", जिस मामले में "विशिष्ट कारणों को दर्ज करके जांच को समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता था।"यह देखा गया है कि तुलसीराम पटेल (ऊपर) और तारसेम सिंह (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस संबंध में उपयुक्त, तुलसीराम पटेल (उपरोक्त) में निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ होगा, जिसमें लिखा है:"130. खंड (बी) के आवेदन के लिए पूर्ववर्ती शर्त अनुशासनात्मक प्राधिकरण की संतुष्टि है कि अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा अनुध्यात जांच "करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है"।ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपयोग किए गए शब्द "उचित रूप से व्यावहारिक नहीं हैं" और "अव्यवहारिक" नहीं हैं।

सी.

डी.

ई.

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार "व्यावहारिक"

इसका अर्थ है "व्यवहार में लाने में सक्षम, कार्रवाई में निष्पादित, प्रभावित, सिद्ध या किया गया; व्यवहार्य"।वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी "व्यावहारिक" शब्द को अन्य बातों के साथ परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "अभ्यास या प्रदर्शन करना संभव:व्यवहार में लाने, करने या पूरा करने में सक्षम:संभव है "।इसके अलावा, उपयोग किए गए शब्द "व्यावहारिक नहीं" हैं, लेकिन "उचित रूप से नहीं" हैं।

एफ.

व्यवहार्य "।वेबस्टर का तीसरा नया अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश

जी.

"यथोचित" शब्द को "उचित तरीके से" के रूप में परिभाषित करता है:काफी हद तक "।इस प्रकार, जांच करना व्यवहार्य था या नहीं, इसका निर्णय इस संदर्भ में किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित रूप से व्यवहार्य था।यह कुल या पूर्ण अव्यवहारिकता नहीं है जो खंड (बी) द्वारा आवश्यक है।आवश्यक बात यह है कि जांच का आयोजन राय में व्यावहारिक नहीं है।

एच.

एक विवेकपूर्ण व्यक्ति का, जो वर्तमान स्थिति को उचित दृष्टिकोण से देखता है।"

इस प्रकार, अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत विभागीय जांच को समाप्त करने की शक्ति का उपयोग करने वाले अधिकारियों को इस निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए कि ऐसी जांच नहीं की जा सकती है और इसके लिए विशिष्ट कारण दर्ज करने चाहिए।इस मामले में, खंड पीठ ने प्रतिवादी-उच्च न्यायालय की इस दलील को अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में दर्ज किया था कि प्रत्यक्ष साक्ष्य और सामग्री को आत्मसात करना, एकत्र करना और प्रस्तुत करना असंभव होगा क्योंकि कार्य और कुकर्म दूसरे देश में थे।डिवीजन बेंच ने पाया कि जांच के लिए कारण दर्ज नहीं किए गए थे, उच्च न्यायालय के इस तर्क को न तो स्वीकार किया है और न ही खारिज किया है।किसी अनुच्छेद के एक या अधिक वाक्यों को अलग-अलग पढ़कर खंड पीठ के निर्णय की व्याख्या करना उचित और सही नहीं होगा।अनुपात और निष्कर्ष को समझने के लिए पूरे निर्णय को पढ़ना होगा और टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे किए गए हैं।

बी.

सी.

डी.

16. कोमल राम और जितेंद्र नाथ सिंह की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने संविधान के अनुच्छेद 311 के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत जांच को समाप्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित एक और तर्क उठाया था।तर्क यह है कि यह शक्ति विशेष रूप से केवल

राज्यपाल के पास निहित है जिसे खुद को संतुष्ट करना होता है और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होता है कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक क्यों नहीं है।राज्य में इस न्यायालय के संवैधानिक पीठ के फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियों पर रिलायंस को रखा गया था।

ई.

पश्चिम बंगाल बनाम नृपेंद्र नाथ बागची, 11:

“.....उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के प्रयोग के भीतर, उच्च न्यायालय पूछताछ कर सकता है, बर्खास्तगी या हटाने के अलावा अन्य दंड लगा सकता है, हालांकि सेवा की शर्तों के अधीन, अपील के अधिकार के लिए यदि सेवा की शर्तों द्वारा दिया जाता है, और अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा आवश्यक कारण दिखाने का अवसर देने के लिए जब तक कि उस खंड के परंतुक (बी) और (सी) के तहत कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा ऐसा अवसर नहीं दिया जाता है।”

एफ.

जी.

17.विवाद नृपेंद्र नाथ बागची (ऊपर) में अनुपात को गलत तरीके से पढ़ता है, जो इसके विपरीत है।संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 की व्याख्या, और उच्च न्यायालय के 'नियंत्रण' के पहलू पर

11 आकाशवाणी 1966 एससी 447 ए

एच.

नृपेंद्र नाथ बागची **(**ऊपर**)** में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित मामलों में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया थाः

“13. [...] इन अनुच्छेदों के अधिनियमन के पीछे का इतिहास इंगित करता है कि "नियंत्रण" उच्च न्यायालय में एक उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए निहित था, अर्थात्, अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा और जब तक कि इसमें अनुशासनात्मक नियंत्रण के साथ-साथ उद्देश्य भी शामिल न हो।निर्माण के लिए यह सहायता स्वीकार्य है क्योंकि किसी कानून के अर्थ का पता लगाने के लिए, वैध रूप से कानून की पूर्व स्थिति, बुराई को हटाने की मांग और उस प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है जिसके द्वारा कानून विकसित किया गया था।जैसा कि हमने देखा है, "नियंत्रण" शब्द का उपयोग संविधान में पहली बार किया गया था और इसके

साथ "बनियान" शब्द है जो एक मजबूत शब्द है।यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय को न्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बनाया गया है।इसलिए, नियंत्रण केवल न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की व्यवस्था करने की शक्ति नहीं है, बल्कि पीठासीन न्यायाधीश पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र पर विचार करता है।अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को इन न्यायालयों पर अधीक्षण प्रदान करता है और उच्च न्यायालय को विवरणी आदि के लिए बुलाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 235 में "नियंत्रण" शब्द की सामग्री अलग होनी चाहिए।इसमें केवल अधीक्षण के अलावा कुछ भी शामिल है।यह न्यायाधीशों के आचरण और अनुशासन पर नियंत्रण है।एक ही दिशा में स्पष्ट रूप से इशारा करने वाले दो अन्य संकेतों से यह निष्कर्ष और मजबूत होता है।पहला यह है कि उच्च न्यायालय का आदेश एक अपील के अधीन किया जाता है यदि ऐसा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून में प्रदान किया गया है और यह आवश्यक रूप से अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार में पारित आदेश को इंगित करता है।दूसरा, शब्द यह है कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश के साथ उनके सेवा नियमों के अनुसार "व्यवहार" करेगा और "सौदा" शब्द भी अनुशासनात्मक की ओर इशारा करता है न कि केवल प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की ओर।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

14. अनुच्छेद 233 और 235 में दो अलग-अलग शक्तियों का उल्लेख है।पहला व्यक्तियों की नियुक्ति, उनकी नियुक्ति और पदोन्नति की शक्ति है और दूसरा नियंत्रण की शक्ति है।जिला न्यायाधीशों के मामले में, व्यक्तियों की नियुक्ति और नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जानी है, लेकिन जिला न्यायाधीश पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का है।हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि प्रयुक्त शब्द "जिला न्यायालय" है क्योंकि शेष अनुच्छेद स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि "न्यायालय" शब्द का उपयोग न केवल उचित न्यायालय बल्कि पीठासीन न्यायाधीश को भी दर्शाने के लिए किया जाता है।अनुच्छेद 235 के अंतिम भाग में कहा गया है कि

जी.

एच.

आदमी जो कार्यालय रखता है।जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के मामले में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार की जानी है, लेकिन नियुक्ति, पदोन्नति और छुट्टी देने की शक्ति और अदालतों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है।जो निहित है उसमें अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र शामिल है।नियंत्रण बेकार है यदि यह अनुशासनात्मक शक्तियों के साथ नहीं है।यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि उच्च न्यायालय अनुशासनहीनता के हर मामले में सरकार या राज्यपाल के पास जाएगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो और जिसके लिए बर्खास्तगी या हटाने की सजा की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है।इन अनुच्छेदों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय को "नियंत्रण" सौंपने से अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को देखा गया था।यह आंशिक रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्राप्त किया गया था, लेकिन इसे वर्तमान संविधान के प्रारूपकों द्वारा पूरी तरह से प्रभावी बनाया गया था।यह निर्माण संविधान के अनुच्छेद 50 के निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप भी है जिसमें कहा गया है:“50. राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

बी.

सी.

डी.

XXXXXX

17. [...] यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और केवल राज्यपाल ही उन्हें बर्खास्त या हटा सकता है।यह उच्च न्यायालय के नियंत्रण को बाधित नहीं करता है।इसका केवल यह अर्थ है कि उच्च न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति या बर्खास्तगी या उन्हें हटा नहीं सकता है।इसी तरह उच्च न्यायालय दो प्रावधानों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता है।उच्च न्यायालय यह निर्णय नहीं ले सकता कि जिला न्यायाधीश को कारण बताने का अवसर देना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है या राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा अवसर देना समीचीन नहीं है।यह केवल राज्यपाल ही तय कर सकते हैं।यह आवश्यक नहीं है कि कुछ शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल द्वारा किया जाना है न कि उच्च न्यायालय द्वारा, यह उच्च न्यायालयों से अन्य शक्तियों को छीन लेता है।प्रावधानों को अन्य निहितार्थों को जन्म दिए बिना उनका पूरा प्रभाव दिया जा सकता है।यह स्पष्ट है कि यदि दो परंतुकों के तहत विशेष शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई मामला उत्पन्न होता है, तो उच्च न्यायालय को इस मामले को राज्यपाल पर छोड़ देना चाहिए।इस संबंध में हम संयोग से यह जोड़ सकते हैं कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिला न्यायाधीशों के खिलाफ जांच के संबंध में इन विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल को हमेशा ए का सम्मान करना होगा।

ई.

एफ.

जी.

एच.

461

हरि निवास गुप्ता बनाम बिहार राज्य और अन्य [संजीव खन्ना, जे.] ए.

इस मामले में उच्च न्यायालय की राय।यह ऐसा ही होगा जो राज्य में जांच करने वाला प्राधिकारी हो।लेकिन इससे आगे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उच्च न्यायालय को इससे अधिक जांच नहीं करनी चाहिए कि राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी चाहिए।"

18. "उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के प्रयोग के भीतर, उच्च न्यायालय पूछताछ कर सकता है, बर्खास्तगी या हटाने के अलावा अन्य दंड लगा सकता है, हालांकि सेवा की शर्तों के अधीन, अपील के अधिकार के लिए यदि सेवा की शर्तों द्वारा दिया जाता है, और अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा आवश्यक कारण दिखाने का अवसर देने के लिए जब तक कि ऐसा अवसर उस खंड के परंतुक (बी) और (सी) के तहत कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा नहीं दिया जाता है" उच्च न्यायालय को यह तय करने के अधिकार से इनकार नहीं करना है कि अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) को लागू करने की शर्तें संतुष्ट हैं या नहीं, लेकिन यह स्वीकार करता है कि बर्खास्तगी, पद से हटाने या कम करने के प्रस्ताव और सिफारिश या विवाद के लिए। टिप्पणियों में यह नहीं कहा गया है कि राज्यपाल, न कि उच्च न्यायालय, अधिकार क्षेत्र में निहित है और यह तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) परंतुक में संतुष्टि दर्ज करने पर जांच को समाप्त किया जाना चाहिए। निर्णय संविधान के अनुच्छेद 235 को संदर्भित करता है और कहता है कि नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास निहित है, हालांकि नियुक्ति, बर्खास्तगी या हटाने का आदेश पारित किया जाता है और राज्यपाल के नाम पर किया जाता है जो औपचारिक आदेश पारित करता है चाहे वह नियुक्ति, बर्खास्तगी या हटाने का मामला हो।यह निर्पेन्द्र नाथ बागची (उपरोक्त) के अनुच्छेद 17 के अंतिम भाग से स्पष्ट है जिसमें लिखा है कि राज्यपाल हमेशा इस मामले में उच्च न्यायालय की राय का सम्मान करेंगे।यह राज्य में जांच करने वाला प्राधिकरण होगा।लेकिन इससे आगे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उच्च न्यायालय को इससे अधिक जांच नहीं करनी चाहिए कि राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी चाहिए।" अनुच्छेद 233 से 236 और उच्च न्यायालय के 'नियंत्रण' के संदर्भ में यह कानूनी स्थिति संदेह से परे है जैसा कि अजीत में समझाया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

कुमार बनाम झारखंड राज्य 12 निम्नलिखित शब्दों में:

12 (2011) 11 एससीसी 458

एच.

462

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

"15. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया अगला तर्क यह था कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत उपरोक्त शक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता था।उपरोक्त निवेदन को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि एक अधीनस्थ न्यायाधीश भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के प्रावधान के अर्थ के भीतर एक न्यायाधीश है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 और 236 के प्रावधानों के सहपठित पढ़ा जाता है।16. अनुच्छेद 233 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जानी है।उपरोक्त प्रावधान, अनुच्छेद 234 से 236 की तरह, भारत के संविधान में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए शामिल किया गया है और यही राज्य की तीन शाखाओं की शक्ति के पृथक्करण के दायरे से संबंधित है।

बी.

सी.

17. यह विवादित नहीं हो सकता है कि उपरोक्त अनुच्छेदों [अनुच्छेद 233-236] के तहत शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाना है।भारतीय संविधान की योजना के तहत उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 234 से 236 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्ति के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है।उच्च न्यायालय के पास यह देखने की शक्ति भी निहित है कि जिला न्यायपालिका को चलाने के लिए उचित व्यक्तियों के चयन द्वारा न्यायपालिका की उच्च परंपराओं और मानकों को बनाए रखा जाए।यदि कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा का सदस्य होने के योग्य नहीं पाया जाता है या यह पाया जाता है कि उसने कोई दुराचार किया

है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सेवा से हटाया जा सकता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत निर्धारित पूर्व शर्तों का पालन करके इस तरह की बर्खास्तगी या हटाने के लिए भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।यहां तक कि बर्खास्तगी या पद से हटाने या पद में कमी की सजा देने के लिए भी, उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है और इस तरह के दंड की सिफारिश कर सकता है।अकेले राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) सहपठित अनुच्छेद 233-235 के तहत आने वाले व्यक्तियों पर ऐसी सजा देने के लिए सक्षम है।इसी तरह, ऐसी शक्ति हो सकती है

डी.

ई.

एफ.

जी.

उच्च न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण के लिए जांच को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाए और जब राज्यपाल को सिफारिश की जाए तो वैध कारणों के लिए जांच का ऐसा वितरण, यह राज्यपाल की क्षमता के भीतर है कि वह उच्च न्यायालय की सिफारिश के संदर्भ में ऐसे आदेश जारी करे।

एच.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय।" (जोर दिया गया)

19. हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि पूर्ण न्यायालय ने बाद में संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विभागीय जांच करने वाले न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करने की फिर से सिफारिश की थी।हालाँकि, मामला राज्य सरकार के पास लंबित है और हमें सूचित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा 11 सितंबर 2015 को पारित स्थगन आदेश को देखते हुए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।शुरू में यह भी आग्रह किया गया था और तर्क दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत बर्खास्तगी का परंतुक उस अधिकारी के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है जो सेवानिवृत्त हो चुका है।हमें बताया गया कि अन्य दो अधिकारी भी वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे। इसलिए, अधिक से अधिक पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को जब्त और अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (बी) के तहत शक्तियों का

आह्वान करके सेवा से बर्खास्तगी का परंतुक अपीलार्थियों-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है।इसके बाद, अपीलार्थियों के वकील-न्यायिक अधिकारियों ने इस तर्क पर जोर नहीं दिया क्योंकि मामला अभी भी राज्य के अधिकारियों के समक्ष लंबित है, और अंतिम आदेश अभी तक पारित नहीं किया गया है।एक चुनौती प्रत्याशा में नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, यह चुनौती उन रिट याचिकाओं का विषय भी नहीं थी जिसमें विवादित आदेश पारित किया गया था और यह पूरी तरह से कार्रवाई का एक नया कारण होगा।अपीलार्थियों के वकीलों-न्यायिक अधिकारियों ने, तदनुसार, आदेश को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है, यदि और जब भी इसे पारित किया जाता है।उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम उक्त विवाद के गुण-दोष में नहीं जाएंगे और इस मुद्दे को खुला छोड़ देंगे।यह उत्तरदाताओं, यानी बिहार राज्य और उच्च न्यायालय के लिए इस तर्क की जांच करने के लिए समान रूप से खुला है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

20. उपरोक्त को दर्ज करते हुए, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और स्थगन आदेश को खाली कर दिया जाता है, हालांकि हम स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादियों को, खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय के संदर्भ में, कानून के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी।हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने तीन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एच.